BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 07 अप्रैल 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सुहैल पुत्र आफताबअली निवासी मौ0 काजीवाड़ा ऊपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर व 2. शारिक पुत्र असलम उर्फ चोरु निवासी कसाई वाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में वादी मौ0 शरीफ पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 शेखसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर के लड़के को जान से मारने की नीयत से गोली मारने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1688/17 धारा 307, 34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.03.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 07.04.2025 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी -03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सुहैल व 2. शारिक उपरोक्त को 07-07 वर्ष का कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर